# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

**अपील/टीए/340/2012**

**नन्दा बनाम तहसीलदार हुरडा**

श्री बी एल बापना — श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

| दिनांक | कार्यवाही विवरण | की गई कार्यवाही मय इन्यीसीयियल |
|---|---|---|
| 7.1.2019 | पत्रावली पेश हुई । उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 की अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नही है। इसलिए अपील अपीलार्थी खारिज की जावे। चूंकि अपीलाधीन निर्णय की अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय,अजमेर द्वारा निर्णित भी की जा चुकी है। जिसकी प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी उपलब्ध है।<br>अधिवक्ता अपीलार्थी ने भी अपील को न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं होने से एवं अपील का क्षेत्राधिकार अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय,अजमेर को होने एवं उनके द्वारा अपीलाधीन निर्णय की अपील होने एवं अपील निस्तारित हो जाने से खारिज किये जाने का निवेदन किया ।<br>न्यायालय हाजा में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 320/2010 निर्णय दिनांक 6.8.2012 की अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत पारित किया गया था। जिसकी अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं है एवं उक्त निर्णय की अपील अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय,अजमेर में की गई। जिसमें अपील संख्या 213/2012/भीलवाडा दर्ज होकर निर्णय दिनांक 13.2.2017 को निर्णय भी पारित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा में अपील को कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।<br>पत्रावली तदनुसार फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफतर हो।<br>निर्णय आज दिनांक 7.1.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।<br>भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं<br>पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी<br>भीलवाड़ा | |